स्वतंत्र मत जबलपुर शुक्रवार 12 अक्टूबर 2012

ई-वेस्ट प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने लगी कार्यशाला

जबलपुर, डेस्क

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट (हैण्डलिंग एण्ड मैनेजमेंट) रूल्स 2011 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल आइटम्स के विक्रेता, डीलर्स, बल्क, कन्ज्यूमर्स एवं उद्योगों के लगभग 150 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के वैज्ञानिक डॉ.प्रेम श्रीवास्तव एवं विशेष अतिथियों के रूप में जबलपुर टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सेठी, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के सचिव अमित जैन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सचिव राजपाल बजाज उपस्थित हुए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ.पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स से नियम के प्रावधानों के अनुसार ई-वेस्ट के प्रबंधन की व्यवस्था करने एवं ई-वेस्ट के अवैज्ञानिक निपटान से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहयोग करने की अपील की गई। श्री सेठी, श्री जैन एवं श्री बजाज द्वारा कार्यशाला को बहुत उपयोगी एवं मार्गदर्शी बताया गया तथा भरोसा दिलाया गया कि उनके संगठनो द्वारा ई-वेस्ट नियम के प्रावधानों के पालन हेतु हर सम्भव सहयोग किया जावेगा। डॉ.प्रेम श्रीवास्तव द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियो को नियम के प्रावधानो की जानकारी दी गई तथा विस्तार से नियमों के प्रावधानो का पालन हेतु बनाई गई गाइड लाइन को स्पष्ट किया गया। बोर्ड के मुख्या रसायनज्ञ पी.आर.देव द्वारा सदस्यों को नियमानुसार ही ई-वेस्ट का निपटान करने हेतु कहा गया। कार्यक्रम का संचालन बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ.एस.के.खरे एवं धन्यवाद ज्ञापन पर्यावरण मित्र आर.आर.सिंह सेंगर द्वारा किया गया।

नईदुनिया
जबलपुर, शुक्रवार 12 अक्टूबर 2012

ई-वेस्ट का वैज्ञानिक निपटान जरूरी

» प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला

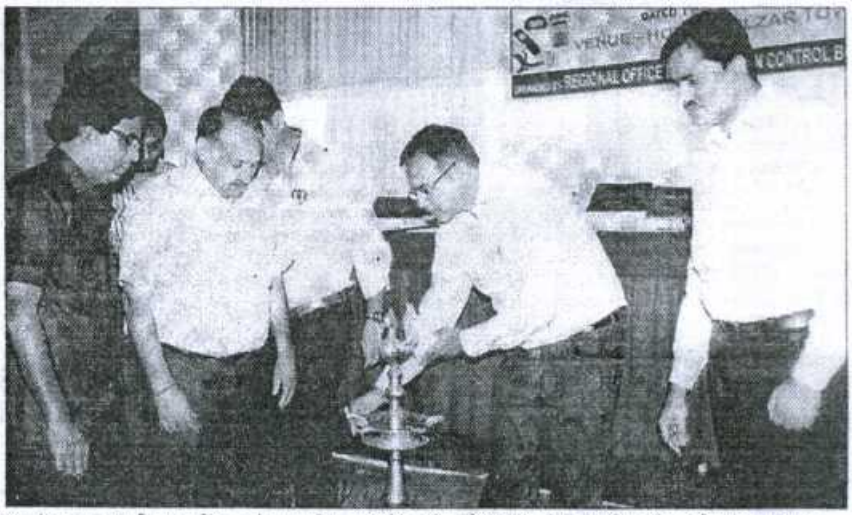

शुभारंभ अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सिंह, वैज्ञानिक डॉ. प्रेम श्रीवास्तव एवं अन्य।

जबलपुर। ई-वेस्ट का प्रबंधन नियमों के अनुसार ही किया जाए। ई-वेस्ट के वैज्ञानिक निपटान आवश्यक है क्यों कि अवैज्ञानिक निपटान से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उक्त जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ पुष्पेंद्र सिंह ने दी।

अवसर था मध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट रूल्स 2011 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई कार्य कार्यशाला का। जहां इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल आइटम्स के विक्रेता, डीलर्स, बल्क, कन्ज्यूमर्स एवं उद्योगों के लगभग 150 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ मध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के वैज्ञानिक डॉ प्रेम श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि जबलपुर टेलकम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सेठी, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के सचिव अमित जैन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सचिव राजपाल बजाज उपस्थित थे।

डॉ प्रेम श्रीवास्तवने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को नियम के प्रावधानों की जानकारी दी तथा विस्तार नियमों के प्रावधानों का पालन करने हेतु बनाई गई गाईड लाइन को स्पष्ट किया। बोर्ड के मुख्य रसायनज्ञ पी.आर.देव द्वारा संबंधितों को नियमानुसार ई-वेस्ट का निपटान करने हेतु कहा गया।

कार्यक्रम का संचालन बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ एस के खरे एवं आभार प्रदर्शन पर्यावरण मित्र आर आर सिंह सेंगर ने किया।

राज एक्सप्रेस 03
जबलपुर | शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2012

ई-वेस्ट हैंडलिंग के प्रावधानों पर हुई मंत्रणा

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आयोजन

जबलपुर (आरएनएन)। होटल गुलजार टॉवर में मप्र प्रदूषण बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट (हैंडलिंग एंड मैनजमेंट) रूल्स के प्रावधानों के विषय में जागरुकता बढ़ाने और रूल्स का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य मप्र प्रदूषण बोर्ड द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल आइटम्स के विक्रेता, डीलर्स, बल्क कन्ज्यूमर्स एवं उद्योगों के लगभग 150 प्रतिनिधि शमिल हुए। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के वैज्ञानिक डॉ. प्रेम श्रीवास्तव कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हुए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स से नियम प्रावधानों के अनुसार ई-वेस्ट के प्रबंधन की व्यवस्था करने एवं ई-वेस्ट के अवैज्ञानिक निपटान से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहयोग करने की अपील की गई।

पत्रिका
जबलपुर . शुक्रवार
12.10.2012
जबलपुर

ई-वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी

कार्यशाला को संबोधित करते वक्ता। पत्रिका

पीसीबी की ओर से कार्यशाला आयोजित

जबलपुर. ई-वेस्ट का सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। यह बात ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर पीसीबी की ओर से गुरुवार को एक निजी होटल में आयोजित कार्यशाला में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के डॉ. पीके श्रीवास्तव ने कही।

उपकरणों की आयु देखें : श्रीवास्तव ने बताया कि निर्माताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पर 1 मई 2012 से अनुमानित आयु लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यशाला में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के डीलर शामिल हुए। उन्हें ई-वेस्ट से संबंधित कानून व उनके उत्तरदायित्व से अवगत कराया गया। व्यापारियों ने सुझाव दिया कि जागरुकता के लिए पीसीबी द्वारा पोस्टर, बैनर उपलब्ध कराए जाएं। कार्यशाला में पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी पीएस बुंदेला, डॉ. पीआर देव आदि उपस्थित थे। प्रदेश में इलेक्ट्रानिक कचरा एकत्रित करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत इंदौर से होगी।

जबलपुर, शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2012 | जबलपुर | हरिभूमि 2

धीमा जहर है इलेक्ट्रानिक कचरा

जबलपुर। उपयोगहीन इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल्स उपकरणों के सही विनिष्टीकरण नहीं होने से यह स्वास्थ्य के लिए धीमा जहर साबित हो रहे हैं। विदेशों में इनको नष्ट करने के लिए अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनका अब देश में भी प्रयोग होने लगा है। ई-वेस्ट से न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सरकार ने ई-वेस्ट (हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट) रुल्स 2011 बनाया है, जिसके प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है।

- ई-वेस्ट पर कार्यशाला, संबंधित व्यापारियों को दी जानकारी

उक्त जानकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जबलपुर रीजन द्वारा आयोजित कार्यशाला में भोपाल कार्यालय से आए वैज्ञानिक डॉ. प्रेम श्रीवास्तव ने दी। ई-वेस्ट के लिए बनाए गए कानून का पालन सुनिश्चित करने इस कार्यशाला में इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल्स उत्पादों के प्रतिनिधि, कारोबारी उपस्थित थे। ई-वेस्ट के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि अगर अभी समय रहते हम गंभीर नहीं हुए तो यह थोड़ी सी चूक भविष्य में पर्यावरण के साथ ही मानव जीवन के लिए घातक साबित होगी। इंदौर में ई वेस्ट निपटान के लिए प्लांट स्थापित किया गया है। डॉ. श्रीवास्तव ने नियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए इसके पालन के लिए बनाई गई गाइड लाइन को स्पष्ट किया। इस अवसर जबलपुर टेलीकम्यूनिकेशन एसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल संघ तथा इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. पीएस बुंदेला द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स से नियम के प्रावधानों के अनुसार ई-वेस्ट के प्रबंधन की व्यवस्था करने एवं इसके अवैज्ञानिक निपटान से होने वाले पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण की जानकारी देते हुए इसके

दैनिक भास्कर
जबलपुर • शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2012

कलेक्शन सेंटर्स से होगा निपटारा, साइंटिफिक तरीकों से होने वाली रिसाइक्लिंग को मिले बढ़ावा

ई वेस्ट से निपटने की तैयारी

सिटी रिपोर्टर, जबलपुर। कंप्यूटर्स, मोबाइल ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जितना ये लाइफ को ईजी बनाते हैं, उतने ही इनके कंपोनेंट्स पर्यावरण, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते है। ई-वेस्ट से निपटने के लिए बनाए नियमों की जानकारी डीलर्स को मिली। गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में होटल गुलजार में 'इंम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट(मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स 2011' पर सेमीनार का आयोजन किया गया। जहां साइंटिफिक तरीकों से वेस्टेज के रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल करने जैसी बातों पर भी खास जानकारी प्रदान की गई।

सेंटर्स से होगा कलेक्शन

डॉ. श्रीवास्तव ने आवश्यक नियमों की जानकारी डीलर्स एवं उपस्थित जनों को दी। साथ ही उपस्थित जनों ने भी सवालों के जरिए अपनी समस्याएं सामने रखी, जिनका समाधान उन्हें प्राप्त हुआ। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि ई-कलेक्शन सेंटर्स के जरिए अब वेस्ट का निपटारा किया जा रहा है। शहर में कलेक्शन सेंटर को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उपस्थित जनों ने उचित व्यवस्था के साथ सेंटर्स ओपन किए जाने पर अपने सुझाव भी व्यक्त किए। (आर 4) फोटो | सुनील

जाना किस तरह निपटा रहे वेस्ट

देश में किस तरह ई-वेस्ट के लिए अनूठी तकनीक अपनाई जा रही हैं इस बात को प्रेजेंटेशन और वीडियोज के जरिए सेमीनार में दर्शाया गया। डॉ. प्रेम श्रीवास्तव ने नियमों की जानकारी देने के साथ ही बताया कि रिसाइक्लिंग को साइंटिफिक तरीके से बढ़ावा देना चाहिए, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का बचाव कर सकें। इस मौके पर उन्होंने मुंबई में अपनाई जा रही ईकोफ्रेंडली तकनीक को वीडियो के जरिए दर्शाया। क्षेत्रीय अधिकारी पीएस बुंदेला, दीपक सेठी, राजपाल, अमित जैन, पीआर देव, आरआर सेंगर, वैज्ञानिक एसके खरे, डॉ. अजय खरे आदि उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर
इंदौर • मंगलवार, 18 दिसंबर, 2012

निर्माता कंपनियों को खरीदना होगा ई-वेस्ट

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला

भास्कर संवाददाता | इंदौर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की योजना धरातल पर उतरी तो आपको अपना ई-वेस्ट (खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का वह सामान, जो मनुष्य के साथ पर्यावरण को हानि पहुंचाता है) ठिकाने लगाने के लिए ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा। इसे आप उपकरण बनाने वाली कंपनी को बेच सकेंगे। वह खरीदने के लिए बाध्य होगी। इसके लिए कंपनी उपकरण बेचते वक्त आपसे कुछ सिक्यूरिटी मनी भी लेगी जो उपकरण लौटाने पर दे दी जाएगी।

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सोमवार को आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी दी गई। बोर्ड के कार्यपालन यंत्री एच.एस. मालवीय ने बताया इस योजना से उपकरण की कीमत जरूर बढ़ेगी लेकिन ई-वेस्ट का सही निस्तारण हो सकेगा। लोगों को भी उपकरणों की सही कीमत मिलेगी। श्री मालवीय ने ई-वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 की जानकारी भी दी।

कार्यशाला में यूनिक इको रिसाइकल के डॉ. फैजल हुसैन ने बताया कि विश्व में हर साल 150 से 200 मिलियन टन ई-वेस्ट निकलता है। एशिया में यह आंकड़ा 40 से 50 मिलियन टन, जबकि भारत में चार से पांच लाख टन है। दुनिया में इसका 15 से 20 प्रतिशत डिस्पोजल होता है, जबकि भारत में महज 5 से 10 प्रतिशत। यानी, भारत में इसे लेकर जागरूकता की बहुत कमी है। कार्यशाला में इंदौर के प्रभारी एए मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

नईदुनिया

इंदौर, मंगलवार 18 सितंबर 2012

कार्यशाला | निर्माता व उत्पादक को खुद करना होगी निपटान की व्यवस्था

अगले माह शुरू होगा ई-वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट

इंदौर। ई-वेस्ट के निपटान की जिम्मेदारी निर्माता व उत्पादक की ही रहेगी। सभी को इसका हिसाब प्रदूषण मंडल को देना होगा। प्रदेश का पहला रिसाइकलिंग प्लांट इंदौर में अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाएगा।

यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ई-वेस्ट रूल्स-2011 क्रियान्वयन सेल के प्रभारी प्रेम श्रीवास्तव ने दी। वे होटल सयाजी में मंडल द्वारा आयोजित ई-वेस्ट कलेक्शन व निपटान जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स उत्पादों के निर्माता, विक्रेताओं व बल्क उत्पादकर्ता मौजूद थे। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नियमों को लागू करने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसमें कई बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में रिसाइकलिंग की सुविधा नहीं है। अक्टूबर से इंदौर में पालदा स्थित यूनिक रिसाइकल द्वारा प्लांट में कार्य शुरू हो जाएगा।

जल्द शुरू होंगे कलेक्शन सेंटर

क्षेत्रीय निदेशक एए मिश्रा ने बताया कि बोर्ड द्वारा जागरूकता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के सभी बड़े ई-वेस्ट निकालने वाले संस्थानों को नियमों की जानकारी दे दी गई है। जल्दी ही विजयनगर में बोर्ड के कार्यालय, प्रशासनिक संकुल, जेल रोड व नगर निगम के संभाग कलेक्शन सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे। वर्तमान में यूनिक इको द्वारा पलासिया, कोठारी मार्केट व पालदा में सेंटर बनाए गए हैं।

सर्किट बोर्ड में खतरनाक मेटल

इको रिसाइकल के फैजल हुसैन ने बताया कि शहर में 5 से 6 हजार टन ई-वेस्ट का उत्पादन संभावना होता है। इसमें सबसे अधिक कचरा मोबाइल फोन व कम्प्यूटर से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में 23 प्रतिशत प्लास्टिक, 20 प्रतिशत ग्लास व 56 प्रतिशत मेटल होते हैं। सबसे खतरनाक तत्व सर्किट बोर्ड में रहते हैं। असावधानी से इसका निपटान करने पर पर्यावरण में खतरा हो सकता है। इसमें से प्रत्येक कंपोनेंट को अत्याधुनिक मशीन से अलग कर टेस्ट कर पुनरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि टीवी, कम्प्यूटर की स्क्रीन व सीआरटी से निकलने वाला फास्फोरस हवा में घुल कर घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक एचएस मालवीय, डी बाघेला, अपर्णा बापट, निगम के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी एके पुरोहित व होस्टटेक इको रिसाईकल के अधिकारी मौजूद थे।

कोई भी खोल सकेगा

ई-वेस्ट एकत्रित करने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था कलेक्शन सेंटर प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए उन्हें रिसाइकल करने वाली कंपनी के साथ एमओयू करना होगा। साथ ही तथा प्रदूषण बोर्ड से अनुमति लेना होगी।

क्या है गाइडलाइन

- ई-वेस्ट निपटान की व्यवस्था निर्माता व उत्पादकों को ही करना होगी। इसके लिए कलेक्शन सेंटर बनाना होंगे, रिसाइकलिंग करने वालों से अनुबंध करना होगा
- बल्क उपयोगकर्ता कंपनियों को इसका हिसाब-किताब रखना होगा
- नगरीय निकायों की भी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। सामान्य कचरे में मिलने वाले ई-वेस्ट को आपराईज्ड सेंटर तक भेजना होगा

राज एक्सप्रेस
शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2012

होटल सेंट्रल पार्क में आयोजित ई-वेस्ट मैनेजमेंट कार्यशाला को संबोधित करते महापौर।

ई-वेस्ट के लिए बनेगी नई लैंडफिल साइट

ग्वालियर (आरएनएन)। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से निकलने वाले कचरे (ई-वेस्ट) के प्रबंधन के लिए नगर-निगम नई लैंडफिल साइट बनाने की पहल करेगा। इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल ई-वेस्ट प्रबंधन की दिशा में अन्य शहरों में हो रहे काम देखने के लिए जाएगा। यह घोषणा महापौर समीक्षा गुप्ता ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गुरुवार को होटल सेंट्रल पार्क में ई-वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर आयोजित कार्यशाला में की।

श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निष्पादन के लिए सभी शहरों को अभी से पहल करने की जरूरत है। ग्वालियर में इसके लिए अलग से लैंडफिल साइट बनाने नगर निगम खुद पहल करेगा। ई-वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य को देखने ग्वालियर का दल देश के अन्य शहरों में जाएगा और उस दिशा में पहल प्रारंभ हो, इसके लिए निगम अग्रणीय भूमिका निभाएगी। साडा अध्यक्ष जयसिंह कुशवाह, निगम आयुक्त वेदप्रकाश, ट्रिपल आईटीएम के डायरेक्टर डॉ. एसजी देशमुख ने भी कार्यक्रम संबोधित किया। दिल्ली एवं इंदौर से आए विशेष विशेषज्ञों ने भी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

नईदुनिया
ग्वालियर, शुक्रवार 12 अक्टूबर 2012

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई-वेस्ट पर कार्यशाला में सामने आए महत्वपूर्ण सुझाव

खराब मोबाइल कर सकता है बीमार

ई-वेस्ट में कीमती धातुएं

लश्कर, ग्वालियर व मुरार में हुआ सर्वे

क्या है ई-वेस्ट

इन्होंने की शिरकत

यह आए सुझाव

ऐसे बचाएं पर्यावरण

पत्रिका
शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2012

[जागृति अभियान] | प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन ई-वेस्ट निकलता है, निस्तारण के इंतजाम नहीं

ई-वेस्ट में भारत दूसरे नम्बर पर

गत वर्ष किया गया था सर्वे

बनाई जाएगी जल्द ही टीम

CITY भास्कर
ग्वालियर, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2012 • 4

ई-वेस्ट पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करतीं महापौर समीक्षा गुप्ता। फोटो भास्कर

कंडम कंप्यूटर रखना खतरनाक

ई-वेस्ट को लेकर विशेषज्ञों ने किया आगाह, री-साइकल पर दिया जोर

भास्कर संवाददाता | ग्वालियर

कंडम हो चुके कम्प्यूटर, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान घरों में रखना सुरक्षित नहीं है। इनसे उत्सर्जित होने वाली गैस किडनी, हड्डी, ब्लड प्रेशर, लिवर, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक के कंडम उपकरणों को अत्याधुनिक तरीके से री-साइकल करने की व्यवस्था जल्द की जानी चाहिए। ये सुझाव पर्यावरण विशेषज्ञों ने ई-वेस्ट नियम 2011 पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन गुरुवार को दिए।

कार्यशाला में मप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट रखी गई। इसका शुभारंभ महापौर समीक्षा गुप्ता, सभा अध्यक्ष जय सिंह, नगर निगम आयुक्त वेद प्रकाश ने किया। महापौर ने लैंडफिल साइट पर ई-वेस्ट को निपटाने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ट्रिपल आईटीएम के डायरेक्टर डॉ. एसजी देशमुख, प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड भोपाल के कार्यपालन यंत्री एचएस मालवीय, एमआईटीएस के प्रोफेसर एके सक्सेना, आईटीएम के प्रो. केसी आर्य व ग्रीन वर्ल्ड इंटरनेशनल के दिव्य कोठारी ने ई-वेस्ट के नुकसान व री-साइकल के तरीके बताए। विशेषज्ञों का कहना था कि री-साइकल की व्यवस्था नहीं होने से शहर में 410 टन खतरनाक ई-वेस्ट एकत्र हो गया है। हर साल इसमें 8 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है।

यह आया है नया नियम

केन्द्र सरकार ने ई-वेस्ट को नष्ट करने के लिए ई-वेस्ट नियम 2011 बनाया है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से ई-वेस्ट को नष्ट करने का प्रावधान है। नियम के तहत बल्क कंज्यूमर्स जैसे शासकीय संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, कंप्यूटर सेंटर, टेलीफोन एक्सचेंज को फॉर्म-2 की जानकारी रखनी चाहिए। अगर किसी शहर में ई-वेस्ट के नष्ट होने की व्यवस्था नहीं है तो नगर निगम और निकायों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।